तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/1805/2005/बूंदी प्रहलाद बनाम गौरीशंकर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.19	**खण्डपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **श्री पंकज नरूका, सदस्य** **उपस्थित** श्री रोहित सोनी व जगदम्बा प्रसाद, अधिवक्ता अपीलांट्स श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता रेस्पो0 **निर्णय** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02–4–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी गौरीशंकर ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी प्रहलाद व रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रसाद के विरूद्ध विचारण न्यायालय सहायक जिलाधीश, केशोरायपाटन के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी 9.40 है0 भूमि जो मु0 रामकंवरी की खातेदारी में दर्ज थी। मु0 रामकंवरी ने एक वसीयत दिनांक 20.5.2000 को गौरीशंकर वादी के पक्ष में कर दी और दिनांक 30.5.2000 को उसका देहांत हो गया । तब से गौरीशंकर ही उक्त विवादित आराजी पर काबिज काश्त है जिसे उक्त विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। मु0 रामकंवरी ने इससे पूर्व दिनांक 04.02.86 को एक वसीयत प्रहलाद व रामप्रसाद के पक्ष में तहरीर की थी परन्तु दिनांक 09.4.86 को उसे रद्द करवा दी गई। इसके उपरांत भी प्रतिवादी प्रहलाद व रामप्रसाद रेस्पो0/वादीगण को उसकी आराजी पर काश्त करने में दखंलदाजी करते आ रहे है। इसलिए वह घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.6.2003 को प्रहलाद के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी । तत्पश्चात	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/1805/2005/बूंदी प्रहलाद बनाम गौरीशंकर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी गौरीशंकर का वाद दिनांक 03.12.03 को अदम हाजरी में निरस्त कर दिया गया। वादी गौरीशंकर ने वाद को पुनः नबंर पर लाने हेतु एक रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.03 को प्रस्तुत किया। यह वाद सहायक जिलाधीश, केशोरायपाटन से उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी को स्थानान्तरित हो गया और अपीलार्थी को सूचना दिये बिना ही वाद पुनः नंबर ले लिया गया। उसकी अनपुस्थिति में उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 12.5.04 को एकपक्षीय बहस सुनकर वाद डिक्री कर दिया और रेस्पो0गौरीशंकर को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपीलार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 02.4.2005 से निरस्त कर दी। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्व यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील में सुनी गयी । योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने तथाकथित दिनांक 20.5.2000 संदिग्ध वसीयत है क्योंकि प्रतिवादी ने अपने जबाव दावा में स्पष्ट रूप कथन किया कि उक्त वसीयत मु0 रामकंवरी द्वारा तहरीर व तकमील नहीं की गयी थी उसकी मृत्यु दिनांक 30.5.2000 को हुई है। प्रतिवादी ने कहा कि रामकंवरी अस्वस्थ, कमजोर थी तो ऐसी अवस्था में वह न तो वसीयत को पढ सकती और न ही सुन सकती थी। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अपील अधिकारी ने आदेश 41 नियम 33 सी0पी0सी0 के तहत प्रदत्त शक्तियों का सही रूप से प्रयोग	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/1805/2005/बूंदी प्रहलाद बनाम गौरीशंकर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया। अपीलार्थी ने अपील के दौरान निवेदन किया कि वादी उत्तरदाता का वाद 03.12.03 को अदम हाजरी/ अदम पैरवी में निरस्त हो जाने के पश्चात वाद पत्र पुनः नंबर पर लेने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस कारण वे दस्तावजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है, गौरीशंकर का इस विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। मु0 रामकंवरी ने कोई वसीयत 20.5.2000 को तहरीर नहीं कराई। विद्वान अभिभाषक ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया । विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि रामकंवरी की थी और रामकंवरी ने विवादित आराजी की वसीयत हमारे पक्ष में निष्पादित कर दी थी। अपीलांट के पक्ष में रामकंवरी ने जो वसीयत की थी उसको अपने जीवनकाल में निरस्त कर दी थी। उक्त सभी दस्तावेज पंजीकृत है। ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे विवादित आराजी रामकंवरी को उसके पति से मिली हो सिद्व हो और यदि यह मान भी लिया जावे तो भी अपीलांट का विवादित भूमि पर कोई अधिकार नहीं बनता है। क्योंकि गोपीलाल के दोनों भाई प्रभूलाल व छोटूलाल जीवित है और उन्होंने इस सबंध में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में भी यह साबित नहीं कर पाये कि उनका अधिकार वादग्रस्त भूमि में छोटू व प्रभू के जीवनकाल में किस प्रकार हो सकता है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/1805/2005/बूंदी प्रहलाद बनाम गौरीशंकर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली, मूल वादपत्र एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदिशेका में दिनांक 03.12.2003 को दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दाखिल दप्तर कर दिया गया। इसके बाद दिनांक 07.01.04 को जो रेस्टोरशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उसकी न तो प्रतिवादीगण को प्रतिलिपि दी गयी और न ही नोटिस जारी करके तामिल कराई गई और ना ही उन्हें सुना गया। दावा उसी दिन नंबर पर लेकर वादी की साक्ष्य शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0-1 को रिकार्डपर ले लिया गया। यह कार्यवाही पूर्णतया विधि विरूद्ध की गयी है। प्रतिवादीगण को न तो साक्ष्य का अवसर दिया गया और ना ही जिरह का अवसर दिया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त के विरूद्ध है। यह प्रकरण सहायक जिलाधीश , केशोरायपाटन से उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी को स्थानांतरित किया गया था तो उसकी सूचना व तामील भी प्रतिवादीगण को नहीं करवायी गयी है। उक्त प्रक्रिया भी विधि विरूद्ध है। दिनांक 28.10.37 को कोटा स्टेट के सबंधित परिपत्र के सबंध में भी वादग्रस्त भूमियों की विधिक स्थिति का पूर्ण परीक्षण व विवेचन नहीं किया गया है जो किया जाना आवश्यक था। उक्त परिस्थितियों व कारणों से दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। परिणामतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः 12.05.2004 व 02.04.2005 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी को इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/1805/2005/बूंदी प्रहलाद बनाम गौरीशंकर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर देते हुये प्रकरण का गुणावगुण पर नियमानुसार निर्णय पारित करे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पंकज नरूका)** **सदस्य** **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	